फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर

प्रार्थी : श्री शंकर — **विपक्षी : श्री भेरूलाल**

किस्म मुकदमा – 75 भू.रा. अधिनियम — **पत्रावली संख्या : 04/22**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक 09.12.2022

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट्स उपस्थित। रेस्पोडेन्ट सं. 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जाते हैं। अधिवक्ता अपीलान्ट्स की एकतरफा बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता अपीलान्ट्स की बहस पर मनन किया। नामान्तरकरण सं. 263 का अवलोकन किया। अपीलान्ट्स द्वारा अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम दुर्गावतों का नोहरा पटवार हल्का घासा द्वारा नामान्तरकरण सं. 263 दिनांक 05.03.2021 को विक्रय पत्र दिनांक 24.12.2020 के आधार खोला जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 06.04.2021 को उक्त नामान्तरकरण को स्वीकृत किया गया था। उक्त विक्रय पत्र दिनांक 24.12.2020 को न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश सं. 1 उदयपुर केम्प मावली के प्रकरण सं. 143/21 ई.दी.से दिनांक 07.04.2022 को न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर निरस्त किया गया। अतः विक्रय पत्र के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नामान्तकरण को निरस्त किया जाने का निवेदन किया। पत्रावली के अवलोकन से जानकारी में आते ही अपील प्रस्तुत की हैं जो अन्दर मयाद हैं। उक्त नामान्तरकरण के अवलोकन से नामान्तरकरण ग्राम पंचायत घासा द्वारा दिनांक 06.04.2021 को पारित किया गया हैं। प्रकरण के अवलोकन उक्त नामान्तरकरण ग्राम पचांयत द्वारा विक्रय पत्र क आधार पर पारित किया गया है, उक्त विक्रय पत्र को माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश सं. 1 उदयपुर केम्प मावली के प्रकरण सं. 143/21 ई.दी.से दिनांक 07.04.2022 को न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर निरस्त किया गया। चूंकि प्रकरण में ग्राम पंचायत घासा द्वारा जिस विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 263 पारित किया है वह माननीय न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया हैं। सही नामान्तरकरण पारित नहीं होने से अपीलान्ट्स को भारी असुविधा का सामना करना पड रहा हैं। ग्राम पंचायत ने उक्त नामान्तरकरण को पारित करने में विधिक भूल की हैं, जिसे सुधारा जाना आवश्यक हैं। अतः उक्त अपील अपीलाण्ट्स न्यायहित में स्वीकार की जाती है।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप अपील अपीलाण्ट रूप से स्वीकार की जाती हैं, कि ग्राम पंचायत घासा द्वारा पारित नामान्तरकरण सं. 263 दिनांक 06.04.2021 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार मावली को प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में विक्रय पत्र दिनांक 24.12.2020 के आधार पर पारित नामान्तरकरण 263 को निरस्त किया जाकर नामान्तरकरण से पूर्व की स्थिति बहाल की जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2022.12.17 13:41:56 IST
Reason: SelfAttested

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली